बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 314096 पटना, दिनांकः- 16.06.17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(विशेष अभियान)-102-57/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का निबंधन, स्वीकृति एवं सहायता राशि के अंतरण हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए कालबद्ध प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6,37,658 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों के बैंक खाता में सहायता राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए तीव्र गति से वांछित कार्रवाई करने के निमित्त पिछले वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही विभाग द्वारा दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं । प्राय: सभी माह उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों में तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती रही तथा जिलों द्वारा बार-बार आश्वस्त करने के बावजूद अबतक आंशिक रूप से ही लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अंतरण किया जाना संभव हो सका है तथा विभिन्न चरणों की प्रक्रिया की प्रगति से स्पष्ट है कि अभी काफी कार्य किया जाना बाकी है ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व के वर्षों में विशेष अभियान चलाकर इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी, अतएव इस अनुभव के साथ-साथ योजना का स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्यान्वयन कराने को दृष्टिपथ रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 6,37,658 के अनुरूप लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर निबंधन, स्वीकृति एवं लाभुकों के बैंक खाता में सहायता राशि का अंतरण के साथ-साथ लाभुकों को आवास निर्माण की जानकारी एवं इसके महत्व से अवगत कराने के लिए विशेष अभियान चलाकर इस कार्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है । विशेष अभियान के लिए प्रक्रिया निम्नवत निर्धाति की जाती है :-

(1) **आवास सॉफ्ट पर लाभुकों का निबंधन (30 जून 2017 तक) :-** लाभुकों को आवास सॉफ्ट पर निबंधन के लिए आवास निर्माण से संबंधित भूमि का Geo Tagging, बैंक खाता खोलना, आधार Seeding एवं जॉब कार्ड की इंट्री आवश्यक होती है । इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना है ।

(2) **जिला द्वारा लाभुकों को आवास की स्वीकृति (05 जुलाई 2017 तक) :-** लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर निबंधन की कार्रवाई पूर्ण करने के साथ-साथ लाभुकों को आवास की स्वीकृति भी प्रदान की जायेगी तथा आवास सॉफ्ट द्वारा Generated स्वीकृत्यादेश की प्रति लाभुक को हस्तगत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1827.doc

(3) लाभुकों को सहायता राशि के अंतरण हेतु FTO Generate किया जाना (15 जुलाई 2017 तक) :- लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर निबंधन एवं स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही लाभुकों के बैंक खाता में सहायता राशि के अंतरण हेतु Maker एवं Checker द्वारा FTO Generate कर दिया जायेगा ।

(4) लाभुकों को आवास निर्माण की जानकारी हेतु प्रखण्ड स्तर पर आवास दिवस (कैंप) का आयोजन (17 जुलाई 2017 को) :- लाभुकों को आवास निर्माण के साथ-साथ स्वच्छ रसोई घर एवं शौचालय का निर्माण भी करना है । मकान निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य जिलों में 90 (नब्बे)/IAPजिलों में 95 (पंचानवे) दिनों के श्रम दिवस के लिए अनुमान्य मजदूरी का भुगतान के साथ-साथ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों से भी अवगत कराना है । प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन की सुविधा के लिए सुरक्षा के दृष्टि से रसोई घर में स्लैब निर्माण कराने की अनिवार्यता से भी अवगत कराना है । इसके अतिरिक्त आपदारोधी एवं भूकम्परोधी आवास का निर्माण कराने के महत्व से अवगत कराने के साथ-साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी मकान का डिजाईन एवं प्राक्कलन की जानकारी तथा आवश्यकतानुसार ऋण लेने के प्रावधान की भी जानकारी देने के निमित्त विभाग द्वारा मुद्रित पुस्तिका तैयार की गई है जिसे शिविर में लाभुकों को हस्तगत कराना है ।

(5) शिविर आयोजन की व्यवस्था :-

(i) शिविर में भाग लेने हेतु स्थानीय सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि/स्थानीय विधान मंडल सदस्य, प्रखण्ड प्रमुख, प्रखण्ड बीस-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, प्रखण्ड पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य एवं अनय जन प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत लाभुकों को भी शिविर में भाग लेने की सूचना दी जायेगी ।

(ii) आम नागरिकों को योजना के महत्व जानकारियों से अवगत कराने के लिए एक फलैश बोर्ड प्रखण्ड कार्यालय के प्रवेश द्वारा पर एवं एक फलैश बोर्ड प्रखण्ड कार्यालय भवन के बाहर स्थायी तौर पर लगाने का आदेश पूर्व में विभागीय पत्रांक-305148 दिनांक-23.03.17 द्वारा दिया जा चुका है जिसे शिविर से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा ।

(iii) विशेष अभियान के तहत पूरे राज्य में एक ही दिन दिनांक 17 जुलाई 2017 को प्रखण्ड स्तर पर आवास दिवस (कैंप) आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है और इस कैंप में काफी संख्या में लाभार्थी उपस्थित होंगे अतएव शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है :-

(i) पेयजल
(ii) अस्थायी शौचालय
(iii) धूप/बरसात से बचने के लिए वाटरप्रुफ शामियाना
(iv) प्राथमिक उपचार
(v) लाभार्थियों एवं जन प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था
(vi) उदघोषणा हेतु जेनरेटर के साथ ध्वनिविस्तारक यंत्र
(vii) कार्य निष्पादन हेतु विभिन्न काउंटर

(viii) आवास दिवस से संबंधित दो बड़-बड़े बैनर (मंच के आगे और पीछे लगाया जायेगा)

(iv) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी प्राय: विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से अनभिज्ञ रहते हैं, अतएव इन्हें सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों यथा जनसंख्या नियंत्रण, आधार बनाने, स्वच्छता, पेयजल, लघु सिंचाई के साथ-साथ समाज कल्याण एवं पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराने का यह एक विशेष अवसर होगा अतएव इसे भी सुनिश्चित करने से लाभुकों को व्यापक जानकारी मिल सकेगी ।

(v) कैंप में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए थाना प्रभारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

(vi) विडियोग्राफी के लिए दो विडियोग्राफी का काउन्टर खोला जायेगा तथा विडियोग्राफर के साथ लाभार्थियों का शिकायत अभिलिखित करने हेतु एक-एक कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे ।

(vii) विशेष अभियान के तहत यह एक महत्वपूर्ण कैंप होगा और कैंप की सफलता इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर निर्भर करती है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शिविर की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से ही लाउडस्पीकर से पूरे प्रखण्ड क्षेत्र में प्रचार करायेंगे ।

(viii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक-305148 दिनांक-23.03.17 द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी के बिन्दु प्रेषित किये जा चुके हैं अतएव इसका पर्चा मुद्रित कराकर वितरण कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त लगातार प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से संपर्क बनाकर प्रत्येक चरण में किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक शुक्रवार को 3.00 बजे अपराह्न तक विभाग को ई-मेल से उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

16/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 314096, ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 16.06.17

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि विशेष अभियान से संबंधित कार्यों का अपने स्तर पर साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाय ।

16/6/2017

सरकार के सचिव